

2017/50111

न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

अपील संख्या 130/2017

अपीलांत

सज्जनसिंह पुत्र हुकमसिंह
जाति राजपूत निवासी लीलरिया
धोरा सरदारपुरा वार्ड संख्या 01 बाड़मेर

बनाम

रेस्पोंडेंट

लोक सूचना अधिकारी,
अपर कलक्टर, बाड़मेर

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक 22.01.2018



1. अपीलांत से यह अपील लोक सूचना अधिकारी—अपर कलक्टर बाड़मेर से चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने के फलस्वरूप धारा 19(1)सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त हुई।
2. संक्षेप में अपीलांत की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांत ने लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर, बाड़मेर को आवेदन पत्र प्रेषित कर राजस्थान सम्पर्क शिकायत संख्या 0416032728381 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्नक की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। अपीलांत का यह कथन है कि लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर बाड़मेर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। इसलिये अपीलांत को सूचना उपलब्ध कराई जाए।
3. अपील अपीलांत दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोंडेंट को जवाब हेतु नोटिस जारी किया। जवाब में यह बताया कि वांछित सूचना अपीलांत को उपलब्ध करवा दी गई है।
4. हमने अपील पत्रावली एवं रेस्पोंडेंट से प्राप्त जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांत द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सम्पर्क शिकायत संख्या 0416032728381 से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली मय समस्त जॉचों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी, अपर कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त जवाब अनुसार वांछित सूचना अपीलांत को उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलांत को उसके द्वारा आवेदित सूचना उपलब्ध करा दी गई है। वस्तुतः अपीलांत ने उक्त सूचना प्रेषण के उपरान्त किसी प्रकार का कोई प्रतिकार प्रेषित नहीं किया है और अपील पेश करने के पश्चात् अपना पक्ष रखने के लिये उपस्थित नहीं हुए है।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

5. इस आलोक में, वर्तमान अपील में अब अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं देखते हुए, यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः अपीलांत की अपील उक्तानुसार खारिज की जाती है।
7. निर्णय की प्रतियां उभय पक्ष को प्रेषित हो।
8. निर्णय आज दिनांक 22.01.2018 को सुनाया गया।



(शिवप्रसाद एम.नकाते)
जिला कलक्टर, बाडली
जिला कलक्टर
बाडली